भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या : 3075
दिनांक 07 अगस्त 2025

घरेलू एलपीजी सिलेंडर, पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतें

†3075. **श्री बी. मणिक्कम टैगोरः**

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार घरेलू एलपीजी सिलेंडर, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार वृद्धि के कारण आम आदमी के परिवारों पर पड़ने वाले वित्तीय बोझ से अवगत है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार रसोई गैस, पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतें निर्धारित करने के लिए प्रयुक्त विस्तृत लागत संरचना और मूल्य निर्धारण सूत्र को जनसाधारण की जानकारी में लाने पर विचार कर रही है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है;
(ग) क्या पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि सीधे तौर पर वैश्विक कच्चे तेल की दरों से जुड़ी है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो अन्य योगदान करने वाले कारक क्या हैं;
(घ) क्या सरकार के पास पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की खुदरा कीमतों में शामिल केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा लगाए गए करों, डीलर कमीशन, परिवहन और लाभ मार्जिन का ब्यौरा है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है; और
(ङ) क्या सरकार ने विगत पाँच वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष घरेलू एलपीजी सिलेंडरों पर राजसहायता कम की है और वितरित की गई राजसहायता की राशि कितनी है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है?

उत्तर
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सुरेश गोपी)

(क) से (ङ): **एलपीजी:**

भारत घरेलू एलपीजी खपत का लगभग 60% आयात करता है। देश में एलपीजी की कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत से जुड़ी होती है। जहां औसत सऊदी सीपी (एलपीजी मूल्य निर्धारण के लिए अंतरराष्ट्रीय मानक) में 51% (जुलाई 2023 में 385/एमटी अमेरिकी डॉलर से जून 2025 में 582/एमटी अमेरिकी डॉलर तक) की वृद्धि हुई वहीं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) के उपभोक्ताओं के लिए घरेलू एलपीजी की प्रभावी कीमत 38% की (अगस्त 2023 में 903 रुपये से जुलाई 2025 में 553 रुपये तक) कमी की गई ।

वैश्विक स्तर पर, पीएमयूवाई अपनी तरह का सबसे बड़ा कार्यक्रम है जो 10 करोड़ से ज़्यादा गरीब परिवारों को लगभग 39 रुपये प्रति किलोग्राम की प्रभावी कीमत पर घरेलू रसोई गैस उपलब्ध कराता है। दिल्ली में 14.2 किलोग्राम के एक घरेलू रसोई गैस सिलेंडर का खुदरा विक्रय मूल्य वर्तमान में 853 रुपये है। पीएमयूवाई उपभोक्ताओं को 300 रुपये प्रति सिलेंडर की लक्षित राजसहायता के बाद, भारत सरकार 14.2 किलोग्राम के रसोई गैस सिलेंडर 553 रुपये प्रति सिलेंडर (दिल्ली में) की प्रभावी कीमत पर उपलब्ध करा रही है। यह देश भर में लगभग 10.33 करोड़ उज्ज्वला लाभार्थियों के लिए उपलब्ध है।

दिल्ली में 01.08.2025 की स्थिति के अनुसार घरेलू एलपीजी के आरएसपी (केंद्र और राज्य सरकार द्वारा लगाए गए करों सहित) का ब्यौरा निम्नानुसार है:

तत्व	रु/.14.2 किलोग्राम सिलेंडर
वितरकों से ली जाने वाली कीमत	739.30
वितरक कमीशन	73.08
केंद्रीय जीएसटी @2.50%	20.31
राज्य जीएसटी @2.50%	20.31
खुदरा विक्रय मूल्य	**853.00**

स्रोत :पेट्रोलियम योजना एवं विश्लेषण प्रकोष्ठ (पीपीएसी)

पीएमयूवाई उपभोक्ताओं को 300 रुपये प्रति सिलेंडर की लक्षित राजसहायता के बाद, भारत सरकार 553 रुपये प्रति सिलेंडर (दिल्ली में) की प्रभावी कीमत पर 14.2 किलोग्राम एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध करा रही है।

वर्ष 2020-21 से घरेलू एलपीजी पर राजसहायता का ब्यौरा निम्नानुसार है:

वित्तीय वर्ष	राजसहायता^ (करोड़ रुपये में)
2020-21	11896 #
2021-22	1811
2022-23	6965@
2023-24	11444
2024-25	13640

नोट: इसमें घरेलू एलपीजी में तेल कंपनियों को दी जाने वाली राजकोषीय राजसहायता और अल्प वसूली शामिल है।
^ इसमें प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) के तहत दिए गए कनेक्शनों पर व्यय शामिल है
# इसमें प्रधान मंत्री गरीब कल्याण पैकेज राजसहायता शामिल हैं.
@ इसके अतिरिक्त, सरकार ने घरेलू एलपीजी की बिक्री पर अल्प वसूली के लिए तेल विपणन कंपनियों को 22000 करोड़ रुपये का एकमुश्त मुआवजा दिया।

स्रोत: पेट्रोलियम योजना एवं विश्लेषण प्रकोष्ठ (पीपीएसी)

पेट्रोल और डीजल:
पेट्रोल और डीजल के मूल्य बाजार द्वारा निर्धारित है और सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियां (ओएमसी) पेट्रोल और डीजल के मूल्य निर्धारण पर उचित निर्णय लेती हैं।

देश में पेट्रोलियम उत्पादों का मुल्य अंतर्राष्ट्रीय बाजार में संबंधित उत्पादों के मूल्यों से संबद्ध है। भारत अपने कच्चे तेल की ज़रूरतों का 85% से ज़्यादा आयात करता है। कच्चे तेल का मूल्य (भारतीय बास्केट) 55 डॉलर प्रति बैरल (मार्च 2015) से बढ़कर 113 डॉलर प्रति बैरल (मार्च 2022) और फिर 116 डॉलर प्रति बैरल (जून 2022) हो गया और विभिन्न भू-राजनीतिक और बाज़ार कारकों के कारण इनमें उतार-चढ़ाव जारी रहा है, जबकि घरेलू स्तर पर, पेट्रोल और डीज़ल का मूल्य नवंबर 2021 में क्रमशः 110.04 रुपये और 98.42 रुपये प्रति लीटर से घटकर क्रमशः 94.77 रुपये और 87.67 रुपये प्रति लीटर (दिल्ली की कीमतें) हो गया है। ऐसा सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों के परिणामस्वरूप हुआ है।

उदाहरण के लिए, केंद्र सरकार द्वारा नवंबर 2021 और मई 2022 में दो किस्तों में पेट्रोल और डीज़ल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क में क्रमशः 13 रुपये प्रति लीटर और 16 रुपये प्रति लीटर की कमी की गई, जिसका पूरा लाभ उपभोक्ताओं को दिया गया। कुछ राज्य सरकारों ने भी नागरिकों को राहत देने के लिए राज्य वैट दरों में कमी की। मार्च 2024 में, तेल विपणन कंपनियों ने पेट्रोल और डीज़ल प्रत्येक के खुदरा मूल्यों में 2 रुपये प्रति लीटर की कमी की। अप्रैल 2025 में, पेट्रोल और डीज़ल प्रत्येक पर उत्पाद शुल्क में 2 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि की गई, लेकिन इसका भार उपभोक्ताओं पर नहीं डाला गया।

सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों ने राज्य के भीतर माल ढुलाई को भी तर्कसंगत बनाया है। इससे राज्यों के भीतर पेट्रोलियम तेल एवं स्नेहक (पीओएल) डिपो से दूर-दूरदराज के इलाकों में रहने वाले उपभोक्ताओं को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी के रुप में लाभ हुआ है। इस पहल से राज्य के भीतर पेट्रोल अथवा डीजल के अधिकतम और न्यूनतम खुदरा मूल्यों के बीच का अंतर भी कम हुआ है।

सरकार ने आम नागरिकों को उच्च अंतर्राष्ट्रीय कीमतों से बचाने के लिए कई अन्य कदम भी उठाए, जिनमें कच्चे तेल के आयात में विविधता लाना, घरेलू बाजार में पेट्रोल और डीजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सार्वभौमिक सेवा दायित्व के प्रावधानों को लागू करना, पेट्रोल में इथेनॉल के मिश्रण को बढ़ाना आदि शामिल थे।

सरकार ने कच्चे तेल के बढ़ती मूल्यों के प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिनमें कच्चे तेल के घरेलू अन्वेषण और उत्पादन को बढ़ाना, इथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम, भारतीय ऊर्जा बास्केट में नवीकरणीय स्रोतों की हिस्सेदारी में सुधार करना आदि शामिल हैं।

दिल्ली में 01.08.2025 की स्थिति के अनुसार पेट्रोल और डीजल के आरएसपी (केंद्र और राज्य सरकार द्वारा लगाए गए करों सहित) का ब्यौरा निम्नानुसार है:

तत्व	**पेट्रोल**		**डीज़ल**	
	रु./ लीटर	**आरएसपी में %**	**रु./ लीटर**	**आरएसपी में %**
करों और डीलर कमीशन से पहले की कीमत	**52.09**	**54.97%**	**52.92**	**60.36%**
सीमा शुल्क	0.98		1.10	
उत्पाद शुल्क	21.90		17.80	
कुल केंद्रीय कर	**22.88**	**24.15%**	**18.90**	**21.55%**
ग्राहक से ली जाने वाली कीमत - डिपो मूल्य	74.98		71.81	
वैट (डीलर कमीशन पर वैट सहित)	15.40		12.83	
कुल राज्य कर	**15.40**	**16.25%**	**12.83**	**14.63%**
कुल कर	**38.28**	**40.39%**	**31.72**	**36.19%**
डीलर कमीशन	4.40	4.64%	3.03	3.45%
आरएसपी प्रति लीटर (पूर्णांकित)	**94.77**	**100.00%**	**87.67**	**100.00%**

स्रोत(पीपीएसी)पेट्रोलियम योजना एवं विश्लेषण प्रकोष्ठ :

*****